

कार्यालय प्रधानाचार्य, एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा

पत्र संख्या—ई0सी0-1/2017/53

दिनांक—4/5/2017

एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा में संविदा के आधार पर आचार्य, सह-आचार्य तथा सहाय आचार्य/प्रवक्ता के पदों पर सेवायोजन हेतु विज्ञप्ति

शासनादेश संख्या—4661/71-1-08-जी-63/2008, दिनांक—15 दिसम्बर 2008 एवं उक्त शासनादेश के क्रम में समय—समय पर पारित अन्य संविदा शासनादेशों एवं महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या—एम0ई0-2/2015/1916, दिनांक—21.09.2015 के क्रम में एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा में रिक्त आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य तथा प्रवक्ता के पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु आवेदन पत्र एतद् द्वारा आमंत्रित किये जाते हैं। इन पदों पर पर वाक—इन—इन्टरव्यू (**Walk-in-Interview**) पद्धति से कालेज स्तर से संस्तुति के आधार पर शासन/महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ के स्तर से चयन किया जाना है। संविदा पदों पर अन्तिम चयन की प्रक्रिया शासन/महानिदेशालय के द्वारा की जानी है। इच्छुक अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह साक्षात्कार के समय अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ **दिनांक—12.05.2017** दिन शुक्रवार को प्रधानाचार्य कार्यालय, एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा के कमेटी हॉल में समय **प्रातः 11 बजे से सायं 3 बजे** के मध्य उपस्थित हों। रिक्त पदों की संख्या नीचे तालिका में दर्शायी जा रही है। अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि वह साक्षात्कार दिवस को अपने समस्त शैक्षिक/जाति/अनुभव प्रमाण पत्रों/शोध पत्रों की (स्व प्रमाणित) छायाप्रतियों के दो सेट बायोडाटा सहित लायेगें।

एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा में संविदा पर चयन हेतु विकित्सा शिक्षकों के रिक्त पदों की स्थिति				
क्रमांक	विशिष्टता का नाम	आचार्य	सह-आचार्य	सहाय आचार्य/प्रवक्ता
1	एनाटॉमी	0	3	0
2	एनेस्थेसिया	0	2	0
3	बायोकैमिस्ट्री	0	1	1
4	फोरेन्सिक मेडिसन	0	2	1
5	माइक्रोबायलॉजी	1	0	0
6	सामान्य मेडिसन	4	3	0
7	नेफ्रोलॉजी	1	0	0
8	अस्थि	1	1	0
9	बालरोग	1	2	0
10	पैथलॉजी	1	0	0
11	फिजियोलॉजी	0	1	2
12	साइकियाट्री	1	1	1
13	फार्माकोलॉजी	0	1	0
14	रेडियोडायग्नोसिस	0	2	1
15	रेडियोथेरेपी	0	0	1
16	स्किन एण्ड वी0डी0	0	1	1
17	कम्यूनिटी मेडिसन (एस0पी0एम0)	1	3	2
18	सामान्य सर्जरी	1	1	0
19	यूरोलॉजी	0	0	1
20	थोरेन्सिक सर्जरी	1	1	0
21	कार्डियोलोजी	1	1	1
22	स्टेटीशियन	0	0	1
23	फिजिसिस्ट	0	0	1
24	हैल्थ एजुकेशन	0	0	1
25	टान्सफरयूजन मेडिसिन	1	1	0
26	इमरजेन्सी	1	1	1
योग—		16	28	16

एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा के ट्रोमा सेंटर में संविदा पर चयन हेतु विकित्सा शिक्षकों के रिक्त पदों की स्थिति			
क्रमांक	विशिष्टता का नाम	आचार्य	प्रवक्ता
1	एनेस्थेसिया	1	1
2	अस्थि	1	0
3	सामान्य सर्जरी	1	0
4	न्यूरो सर्जरी	1	0
योग—		4	1

उक्त पदों पर नियमानुसार आरक्षण लागू होगा संविदा पर नियुक्ति की शर्ते निम्नवत् हैः-

1. संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले आचार्यों का नियम वेतन रु० 90,000/- सह-आचार्यों का नियत वेतन रु० 80,000/- तथा सहायक आचार्य का नियत वेतन रु० 60,000/- एवं प्रवक्ता का नियत वेतन रु० 50,000/- प्रतिमाह है। इस हेतु आवेदक को Mecical Councial of India, Minimum Qualification for teacher in Medical Institutions Regulations, 1998 द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हतायें एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है।
2. चिकित्सा शिक्षकों के पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु 70 वर्ष से कम आयु सीमा के अभ्यर्थी अभ्यर्थन कर सकते हैं।
3. चिकित्सा शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता/शैक्षिक अनुभव उ०प्र० राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2005 में निहित के अनुसार होगी।
4. ओ०पी०डी० के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करें।
5. प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले शिक्षकों को प्राइवेट प्रैक्टिस करने का स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
6. कोई भी चिकित्सा शिक्षक मरीजों को प्राइवेट में देखने के लिए बाध्य नहीं करेगा।
7. प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कालेज में आक्रिमिक/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपलब्ध रहना होगा।
8. उक्त नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमन्य नहीं होंगे।
9. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की सेवायें लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी समाप्त की जा सकती है।
10. ऐसे चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल एक वर्ष का होगा। एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी/नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी सन्तोषजनक सेवा के आधार पर सेवाकाल पुनः बढ़ाया जा सकेगा।
11. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों के लिए आवश्यक होगा कि वह करार के 15 दिन के भीतर सम्बंधित मेडिकल कालेज में अपना कार्यभार ग्रहण कर लें। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा नियुक्ति स्वतः रद्द मानी जायेगी। संविदा पर नियुक्त ऐसे चिकित्सा शिक्षकों का कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बंधित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा शासन तथा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ को तत्काल भेजी जायेगी।
12. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक संविदा कालावधि के लिए किसी भी प्रकार के पेंशन संबंधी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा। उसे ऐसे कालावधि के लिए बोनस देय नहीं होगा।
13. चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमितीकरण के लिए हकदार नहीं होगा।
14. संविदा आधारित नियुक्ति किसी भी एक पक्ष द्वारा और किसी भी समय एक माह की सूचना या एक माह का संविदा वेतन भुगतान करके समाप्त की जा सकती है।
15. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अन्य सेवा शर्त ऐसी होगी जैसे करार या अनुबन्ध पत्र में विनिर्दिष्ट की जाय। संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षक द्वारा अनुबन्ध या करार में इस तथ्य का उल्लेख किया जायेगा कि वह भविष्य में अपने कार्य एवं कार्यकाल के आधार पर अपने विनियमितीकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नहीं करेंगे और न ही उन्हें निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमन्य होगी।
16. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी इस आशय का घोषणा/शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उनके विरुद्ध मा०न्यायायालय में कोई आपराधिक वाद प्रचलित नहीं है और यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।
17. उक्त संविदा पदों पर चयन की प्रक्रिया प्रधानाचार्य की संस्तुति के आधार पर शासन/महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ के माध्यम से की जानी है। अन्तिम चयन की प्रक्रिया शासन/महानिदेशालय में ही निहित होगी।
18. पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है।

नोट— साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

प्रधानाचार्य,

एस०एन० मेडिकल कालेज, आगरा।

तदिनांक

संख्या—ई०सी०-१/२०१७/

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग—१, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ।
3. आहरण एवं वितरण अधिकारी, एस०एन० मेडिकल कालेज, आगरा।
4. एस०एन० मेडिकल कालेज, आगरा के नोटिस बोर्ड/सूचना पट हेतु।
5. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, एस०एन० मेडिकल कालेज, आगरा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को कालेज की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करे।

प्रधानाचार्य,

एस०एन० मेडिकल कालेज, आगरा।